के लिए संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है। सम्भवत: सदस्य महोदय के ध्यान में उन दो न्यायाधीशों अर्थात मुम्बई उच्च न्यायालय के श्री य० आर० ललित और दिल्ली उच्च न्यायालय के श्री आर० एन० अग्रवाल का मामला है, जिनको स्थायी नहीं किया गया था और जिनको अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, बढ़ाया नहीं गया था। अब श्री आर० एन० अग्रवाल के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने वाला समादेश जारी कर दिया गया है।

मोतिया खान क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा दल के क्वार्टर

2560. श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतिया खान क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल के लिए क्वार्टरों की संख्या कितनी है और उनका कब निर्माण किया गया था ;

(ख) उनकी कब मरम्मत की गई थी और उनमें कितने परिवार रह रहे हैं ;

(ग) क्या इन परिवारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए कोई वचन दिए गए थे; और

(घ) इन वचनों को पूरा करने के क्या कारण हैं ?

. रेल मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय सदर कालोनी दिल्ली के वर्तमान क्वार्टरों जो मोतिया खान क्षेत्र के समीप हैं, से है। इस क्षेत्र में टाइप I के 23 और टाइप II के 15 क्वार्टर रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं। ये क्वार्टर 1957 के लगभग बनाए गए थे। इसके अलावा एक बैरक है जिसका निर्माण 1950 में पहले किया गया था ।

(ख) क्वार्टरों और बैरकों की मरम्मत आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से की जाती है। रेल सुरक्षा दल के 38 कर्मचारियों के परिवारों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था की गयी थी और लगभग 107 जवान बैरकों में रहते हैं जहां इकहरे स्थान की व्यवस्था है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्सोव आटो लि०, कलकत्ता के सप्लाई एजेंट

2561. श्री लक्ष्मण राव मानकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इन्सोव आटो लि०, कलकत्ता ने वर्ष 1970 से अपने एजेन्टों को मोटर सप्लाई नहीं किये हैं ;

(ख) सप्लाई एजेन्ट नियुक्त करते समय और उसके बाद कितनी धनराशि जमा की गई ;

(ग) नियुक्त एजेन्टों को मोटर सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या कम्पनी ने एजेन्टों को जमा धनराशि वापस करने से इन्कार कर दिया है और क्या उन्होंने इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ग). मै० इन्सोव आटो लिमिटेड के, दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1976 के मध्य, कम्पनी

अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत किये गये लेखा-बहियों, आदि के निरीक्षण से, साथ-साथ यह पता चला था कि उस समय तक कम्पनी ने अपना निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया था अत: यह प्रतीत होता है कि इसने अपने अभिकर्ताओं को मोटर सप्लाई नहीं किये हैं ।

(ख) कम्पनी की लेखा-बहियों, आदि के ऊपर निदेशित निरीक्षण के समय पर उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि कम्पनी ने अपने अनेक व्यापारियों से प्रतिभूत जमाओं के रूप में लगभग 11.83 लाख रुपयों की राशि संग्रह की थी ।

(घ) हां, श्रीमान जी । सरकार के नोटिस में यह लाया गया है, कि कम्पनी ने जमाओं को वापिस नहीं किया है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237(ख) के अन्तर्गत आदेशित, कम्पनी के कार्य-कलापों की जांच पहले ही प्रवर्तमान है ।

Election to Remaining State Assemblies

2562. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to hold elections before March, 1978 to those Assemblies to which elections were not held in June, 1977;

(b) whether Government have consulted the concerned Governments in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Governments of those States thereto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) It is proposed to hold the election to the Nagaland Legislative Assembly during 1977 after the monsoon season. There is no proposal for holding election to the Legislative Assembly of any other State before March, 1978.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Fly Over-Bridge in Siliguri

2563. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the construction of a fly over-bridge in Siliguri near old Railway Station is under the consideration of Government; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Yes.

(b) The Government of West Bengal have a proposal to construct a fly over-bridge near Siliguri Town Railway Station in replacement of the existing level crossing and widening improvement to the approach roads. Details of the scheme are still being worked out by the State Government. The broad features of the tentative scheme were examined by the Railway and the State Government were informed that the Railway have no objection to the proposal. Further communication from the State Government is awaited.

Railway Accidents

2564. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of railway accidents that took place during the period from 18th March, 1976 to 17th March, 1977 together with the number of persons who lost their lives and who were injured;